134

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R NO.
N 03
16 SEP 2018
RECEIVED

SUBJECT:	निबन्ध	Test Code:	1	0	7	8
Name of Candidate	सुनिल कुमार धनवन्ता					

Medium Hindi/Eng.	हिन्दी	Registration Number	1	0	9	5	0	6
Center	KB	Date	1	6	0	9	1	8

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

खण्ड A

बाल श्रम : एक आवश्यक बुराई या केवल एक बुराई ?

"बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं।"

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन किसी देश के लिए बच्चों के महत्त्व को इंगित करता है। निश्चित रूप से बच्चों के सकारात्मक विकास से देश का सकारात्मक विकास सुनिश्चित हो पाता है क्योंकि बड़े होकर ये बच्चे ही देश के भाग्य को सही या गलत दिशा प्रदान करते हैं। परन्तु बाल श्रम बच्चों के सकारात्मक विकास के समक्ष एक सर्वाधिक विकट चुनौति मानी जाती है।

बाल श्रम न सिर्फ बच्चे के सर्वांगीण विकास को बाधित करता है अपितु यह देश के भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के समक्ष एक काले धब्बे का कार्य करता है। भारत और विश्व के अनेक देशों में यह बुराई बच्चों के भविष्य को दीमक बनकर खाये जा रही है।

भारत में यह बुराई प्राचीन काल से ही प्रचलित है। हलांकि स्वतंत्रता के पश्चात अनेक प्रयासों के फलस्वरूप इस बुराई की भयावहता में कमी देखने को मिल रही है परन्तु यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी विश्व के सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में निवास करते हैं। यह तथ्य भारत के भविष्य के समक्ष एक संकट के रूप में विद्यमान है।

अब यदि चर्चा की जाए कि इस समस्या के पीछे कौन- कौन से कारक जिम्मेदार है? तो पता लगता है कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि सभी कारकों

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

का सम्मिलित योगदान है। भारत में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि तथा परिवार नियोजन के अभाव के कारण बच्चों को आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती तथा परिवार के पेट पालन के लिए उन्हें बाल श्रम के दलदल में धकेल दिया जाता है।

इसी के साथ ही गरीबी तथा शिक्षा के अभाव के कारण माता-पिता बच्चे को कम उम्र में ही आजीविका के लिए तैयार करने के लिए उसे बाल मजदूरी पर भेज देते हैं। इसके पीछे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बाल तस्करी में संलग्न लोग बच्चों को अपहृत करके उनसे खानों, कारखानों तथा ढाबों पर बलात् श्रम करवाते हैं। वहीं लड़कियों को अवैध यौन व्यवसाय में धकेल दिया जाता है।

कई बार माता-पिता अपने ऋण को चुकाने के लिए बच्चों को साहूकार के पास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, जहां उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। कारखानों के मालिक बाल श्रमिकों को वरीयता देते है क्योंकि वे कम मजदूरी में कार्य करते है तथा उनको अपने अधिकारों का ज्ञान न होने के कारण, वे अन्याय का विरोध नहीं करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल श्रम के पीछे अनेक कारक जिम्मेदार है। परन्तु बाल श्रम को एक आवश्यक बुराई नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बच्चों के हितों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाती तथा उनके वर्तमान तथा भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर देती है। यह सरकारी योजनाओं की विफलता के कारण उत्पन्न होती है इसलिए उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। इसलिए बाल श्रम को केवल एक बुराई माना जाना चाहिए, जो देश के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विकास एवं भविष्य के समक्ष एक विकराल चुनौति है तथा बच्चों के लिए विनाशकारी है। यह बच्चों के माता-पिता की मजबूरी के कारण उत्पन्न होती है न कि जान-बूझकर।

बाल श्रम बच्चों के बहुआयामी विकास को बाधित कर उन पर अनेक नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण बच्चों के सुकुमार बचपन का विनाश तो होता ही है, साथ-साथ उनके शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को भी अवरूद्ध करने का कार्य बाल श्रम करता है।

बचपन की अवस्था बच्चों में विचारों के विकास की अवस्था माना जाता है। बाल श्रम द्वारा इन विचारों को अवरूद्ध कर बच्चों की सृजनशीलता का विनाश करता है। खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने से वे बीमारी या कभी-कभी तो मृत्यु का भी शिकार हो जाते है। बच्चों के शैक्षिक विकास के अवरूद्ध होने से वे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुशल मानव पूँजी में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं तथा इसके कारण दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इसी के साथ बाल श्रम के कारण बच्चों को उनकी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने तथा उचित पोषण न मिलने के कारण वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जिसके आगे चलकर दूरगामी प्रभाव होते हैं। बाल श्रम से देश के जनांकिकीय लाभांश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो देश की विकास क्षमता को अवरुद्ध करता है।

अतः स्पष्ट है कि बाल श्रम एक ऐसी बुराई है जो बच्चों के भविष्य के साथ-साथ देश के भविष्य पर भी खतरा प्रस्तुत करती है। इसीलिए समय-समय पर बाल श्रम को रोकने के लिए वैश्विक स्तर, संवैधानिक स्तर, वैधानिक स्तर, प्रशासनिक स्तर तथा सिविल समाज स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ जैसी संस्था बच्चों के विकास हेतु तथा बाल श्रम को रोकने हेतु समय-समय पर अनेक नीतियों का निर्माण एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर अनेक अभिसमयों का निर्माण किया है। हाल ही में भारत ने 'ILO' के दो अभिसमयों पर हस्ताक्षर किया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मज़दूरी को निषेध किया गया है तथा इसी के साथ अनुच्छेद 39, 45, अनुच्छेद 51A के तहत भी बच्चों के विकास हेतु अनेक प्रावधान किए गए है।

भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन तथा बाल श्रम (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 पारित किया गया। हाल ही बाल श्रम प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों ~~हेतु~~ से किसी भी प्रकार का श्रम करवाना गैर-कानूनी एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

इसी के साथ सरकार ने बच्चों के कल्याण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के लिए मिड-डे-मिल स्कीम, ~~एक~~ समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), ~~प्राथमिक~~ सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), बाल श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान इत्यादि कार्यक्रमों एवं योजनाओं का शुभारंभ किया है।

अनेक गैर-सरकारी संस्थान जैसे प्रथम फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, क्राई, बिल गेट्स एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन इत्यादि भी बाल कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त बहुआयामी प्रयासों के कारण समय के साथ इस बुराई को कम करने में सहायता अवश्य मिली है परन्तु अभी भी यह बुराई व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इसके पीछे अनेक कारण है, जैसे सरकारी विधानों एवं योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन; विभिन्न मंत्रालयों तथा योजनाओं के मध्य समन्वय का अभाव; बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पारिवारिक श्रम की निश्चित परिभाषा का अभाव होना; बाल कल्याण कार्यक्रमों की पहुंच में प्रौद्योगिकी का निम्न प्रयोग; जन-जागरूकता का अभाव इत्यादि

इसलिए सरकार को इस बुराई के निवारण के लिए अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं की व्यापक स्तर पर समीक्षा करके उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारी योजनाओं में उचित समन्वय को सुनिश्चित कर परिणामों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकाधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ सरकार को निजी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों को अपने प्रयासों के पूरक के तौर पर शामिल करना चाहिए।

साथ ही सोशल मीडिया, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से बाल श्रम के कुप्रभावों तथा कल्याणकारी योजनाओं के बारे

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

में व्यापक जनजागरूकता का प्रयास करना चाहिए।

अब यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि बाल श्रम अनेक पारिस्थितिक कारणों से उत्पन्न हुई बुराई है जिसमें परिवार का आकार, आय का स्तर, अवास्थिति तथा सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता की कमी इत्यादि का सम्मिलित योगदान होता है। यह बच्चों एवं देश के विकास दोनों के लिए सभी रूपों में अहितकर है। यह बच्चों के सुकुमार व भोले बचपन का विनाश करके उनके जीवन को अँधकार की ओर धकेलता है। अतः इसे एक आवश्यक बुराई न मानकर केवल एक बुराई माना जाना अधिक सही प्रतीत होता है। साथ ही बच्चों एवं देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुसंस्थागत एवं बहुआयामी तथा प्रभावी कदमों की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इससे न केवल बच्चों के जीवन में ज्योति का समावेश होगा बल्कि सतत् विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसलिए सरकार एवं समाज को इस बुराई को गंभीरता से लेकर इसके बहुआयामी नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसके समूल विनाश का प्रयास करना चाहिए।

अन्त में बॉलीवुड फिल्म का एक गाना मेरे मन में आता है जो बच्चों की विशेषता का सटीकता से वर्णन करता प्रतीत होता है-

" बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँखों के तारे।
ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे।"

इसलिए बच्चों की कोमलता एवं असीम संभावनाओं की सुरक्षा के लिए बाल श्रम जैसी बुराई का तत्काल नाश सभी के हित में होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आसियान - भारत : साझा मूल्यों और समान नियति के समक्ष उभरती चुनौतियां

हाल ही में संपन्न हुए 50 वें आसियान सम्मेलन तथा 25 वें भारत- आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया कि भारत और आसियान न सिर्फ साझा मूल्यों और समान नियति को धारण करते है अपितु वे साझी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं जिन पर परस्पर सहयोग के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य भारत-आसियान संबन्धों की न सिर्फ ऐतिहासिकता एवं वर्तमान का उल्लेख करता है अपितु भविष्य की संभावनाओं एवं चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है तथा दोनों पक्षों को साझा प्रयास एवं सहयोग बढ़ाने को प्रेरित करने का प्रयास करता है।

आसियान की स्थापना 1960 के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

दशक में दक्षिण-पूर्वी एशिया के 5 देशों ने की। बाद में इसमें 5 देशों के और जुड़ जाने के कारण वर्तमान में इसमें 10 देश सदस्य है जो क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल देते हैं। यूं तो भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबन्ध प्राचीन चोल काल से है परन्तु स्वतंत्रता से लेकर 1992 तक भारत इस ओर अपना ध्यान न दे सका। 1992 में भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति के माध्यम से आसियान देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबन्ध स्थापित किए।

वर्तमान में भारत आसियान के साथ एक रणनीतिक साझेदार तथा मुक्त व्यापार भागीदार बन चुका है। भारत-आसियान के मध्य वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में संबन्ध मौजूद है जिनके भविष्य में और अधिक विस्तृत होने की संभावना है।

भारत एवं आसियान देश अनेक साझा मूल्यों को धारण करते हैं। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण एक-दूसरे की संस्कृति की काफी समझ है। भारत से जन्मा बौद्ध धर्म बाद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में इन देशों में फैल गया जो वर्तमान में कई आसियान देशों का राजकीय धर्म है तथा सहिष्णुता एवं शान्ति के मूल्यों पर बल देता है। इसी के साथ बाली द्वीप, थाईलैण्ड में अनेक हिन्दू मन्दिरों के होने तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों के होने के कारण यहां के लोगों का एक-दूसरे के देशों में आना जाना लगा रहता है।

भारत और आसियान दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान करने के पक्षधर है तथा दक्षिणी हिन्द महासागर में चीन के अवैध कब्जे का विरोध करते हैं। ये दोनों पक्ष मुक्त परिवहन तथा मुक्त व्योपार का सम्मान करते हुए संरक्षणवाद का विरोध करते है। आतंकवाद एवं कट्टरवाद का तीव्र विरोध करने के साथ-साथ जलवायु ~~प्रदूषण~~ परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए साझा प्रयासों पर बल देते हैं।

इसी के साथ दोनों पक्ष हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करने के सिद्धान्त के पक्षधर होने के साथ-साथ इस क्षेत्र में शान्ति एवं स्थिरता के भी समर्थक है। दोनों पक्ष चीन के बढ़ते प्रभुत्व एवं आक्रामता को रोककर शक्ति संतुलन स्थापित करने के पक्ष में है तथा आपस में बहुआयामी सहयोग पर बल देते हैं।

~~साझा~~ साझा मूल्यों के साथ साथ भारत और आसियान देश साझा लक्ष्यों को भी धारण करते है। दोनों पक्षों में अनेक देश गरीबी एवं भुखमरी का सामना कर रहे है जिनका निवारण आपसी सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। दोनों पक्षों के मध्य व्यापार अभी संभावित क्षमता से अत्यन्त कम है जिसे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष तत्पर है। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के समझौते पर बातचीत जारी है। यह आसियान देशों व ~~अन्य~~ भारत समेत अन्य पाँच देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

दोनों पक्ष चीन के हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व व अपनी सामरिक सुरक्षा को लेकर चिन्तित है। इसलिए दोनों पक्ष मिलकर इसका सामना करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के मध्य ब्लू इकॉनमी के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी की संभावनाएं मौजूद है तथा समुद्री आतंकवाद एवं समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक सहयोग अपेक्षित है।

दोनों क्षेत्र के अनेक देश जलवायु परिवर्तन की नकारात्मकताओं से पीड़ित हैं। इसलिए वैश्विक मंचों पर एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने में सहयोग की काफी संभावनाएं मौजूद है। अवसंरचनात्मक विकास व कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग अपेक्षित है। भारत ~~एक~~ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती शक्ति है तथा वह आसियान क्षेत्र को बाजार के तौर पर देख सकता है।

इसी के साथ अनेक दक्षिण-पूर्वी एशियाई

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देश जैसे सिंगापुर इत्यादि भारत में FDI के बड़े स्रोत है तथा भारत के लिए भी व्यापार के तेल क्षेत्रों तथा वियतनाम जैसे देशों में व्यापक निवेश की संभावनाएँ मौजूद है। दोनों पक्ष साझी संस्कृति के कारण आपसी पर्यटन के माध्यम से अपना सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास कर सकते है।

इसी के साथ-साथ भारत व आसियान दोनों क्षेत्र चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है। अतः दोनों पक्षों के बीच इस क्षेत्र में व्यापक सहयोग एवं संभावना के अवसर मौजूद है।

उपर्युक्त संभावनाओं एवं अवसरों के दोहन के लिए दोनों पक्षों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे है। भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार होने के नाते प्रतिवर्ष होने वाले आसियान सम्मेलन में भाग लेता है। इसी के साथ-साथ प्रतिवर्ष भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित करने के साथ-साथ अनेक द्विपक्षीय वार्ताएं भी आयोजित की जाती है जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ

वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। हाल ही में संपन्न भारत- आसियान शिखर वार्ता के दौरान व्यापार क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, आपदा प्रबंधन व समुद्री सहयोग इत्यादि क्षेत्रों में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत 2014 के बाद अपनी पुरानी लुक ईस्ट नीति के स्थान पर एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है तथा आपस में भौतिक एवं सांस्कृतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत- म्यांमार- थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, जिसके लाओस एवं वियतनाम तक विस्तार की संभावना है; कलादान मल्टीमॉडल पारगमन प्रोजेक्ट; बिम्सटेक के माध्यम से सहयोग बढ़ाना इत्यादि प्रमुख प्रोजेक्ट है।

इसी के साथ भारत वियतनाम में तेल क्षेत्रों में ONGC विदेश लिमिटेड के माध्यम से निवेश कर रहा है। साथ ही आसियन देशों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को भी अपने मेक इन इण्डिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इण्डिया, स्मार्ट सीत सिटी मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम इत्यादि में निवेश करने को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु साझा अभ्यास पर बल दे रहा है तथा सामरिक सहयोग को मजबूत करने के लिए थाइलैण्ड, सिंगापुर, फिलीपिन्स, इण्डोनेशिया इत्यादि देशों के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।

अतः कहा जा सकता है कि दोनों क्षेत्र व्यापक सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे है। परन्तु इन दोनों पक्षों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान है जिनका समाधान किये बिना ये अपने साझे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कठिनाई का सामना करेंगे।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन अपनी वन बेल्ट-वन रोड (OBOR) जैसी महत्वाकांक्षी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परियोजना तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एवं दक्षिण चीन सागर में अपने अवैध कब्जे के माध्यम से अपनी उपस्थिति एवं प्रभुत्व को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है, जो दोनों पक्षों के समक्ष सुरक्षा एवं संप्रभुता संबन्धी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है।

चीन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अपने निवेश को लगातार बढ़ाकर तथा व्यापार घाटे को अपने पक्ष में करके इन देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही भारत भी चीन के साथ लगभग 71 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना कर रहा है।

दोनों क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता के घटने, मत्स्यन में कमी आने, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होने, समुद्री तल में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा साथ ही समुद्री क्षेत्र में तेल निष्कर्षण, खनिज निष्कर्षण, तेल रिसाव, ठोस अपशिष्ट एवं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि समस्याओं का सामना कर रहे है। इंडोनेशिया के द्वीपीय क्षेत्र एवं अण्डमान सागर में समुद्री डकैती के कारण समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष चिन्तित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते संरक्षणवाद के कारण मुक्त ~~व्यापार~~ व्यापार प्रणाली को ठेस पहुंची है तथा इसके कारण दोनों पक्षों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

दोनों क्षेत्र हिन्द-महासागर व प्रशान्त महासागर के सुनामी एवं चक्रवात प्रभावित स्थानों को समाहित करते है। 2004 में आयी सुनामी के कारण दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों की मृत्यु के साथ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अतः उपयुक्त ~~आप~~ आपदा प्रबन्धन सुनिश्चित करना एक चुनौति है।

~~B~~ इसके अलावा धार्मिक कट्टरवाद व आतंकवाद के प्रसार, शरणार्थियों की समस्या इत्यादि चुनौतियां भी दोनों पक्षों के समक्ष उपस्थित है अतः आवश्यक है कि इन चुनौतियों के समाधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के लिए दोनों पक्षों के मध्य सहयोग को और अधिक विस्तृत एवं गहरा करना समय एवं परिस्थितियों की माँग है।

चीन के प्रभुत्व एवं आक्रामकता को रोकने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। नियमित सैन्य अभ्यासों के साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकी विनिमय पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे भारत वियतनाम को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की योजना बना रहा है।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी व वित्तीय सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित देशों पर वित्तीय समर्थन के लिए ~~सहयोग~~ ~~बना~~ दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। भारत इसके साथ ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) तथा सुरक्षा परिषद में प्रवेश के लिए इन देशों का समर्थन प्राप्त कर सकता है।

दोनों पक्षों के मध्य निवेश तथा

व्यापार वाणिज्य को बढ़ाकर तथा पर्यटन के क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओं का दोहन करके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

समुद्री पाइरेसी तथा समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए साझा प्रयास करने के साथ-साथ ब्लू इकोनमी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना अपेक्षित है। इसी के साथ अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों से निपटने, आपदा प्रबन्धन में सहयोग बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद एवं कट्टरवाद से निपटने के लिए आपस में सूचना एवं इंटेलीजेन्स ~~साझा~~ सूचना साझाकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ-साथ सुरक्षा चिन्ताओं को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अतः स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपने साझा मूल्यों एवं साझा नियति की संभावनाओं से लाभ प्राप्त करने तथा साझी चुनौतियों से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास कर सकते हैं। आसियान के आसियान के साथ संबन्धों से आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ-साथ चीन के प्रभुत्व को कम करने, उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने, समुद्री पाइरेसी व प्रदूषण से निपटने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में व्यापक लाभ मिलने की संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका उपयुक्त नीति निर्माण तथा उसके कुटनीतिक स्तर पर सही क्रियान्वयन के माध्यम से दोहन किया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के मध्य विश्वास में वृद्दि के साथ-साथ उज्ज्वल भविष्य की स्थापना में मदद मिलेगी। परन्तु इस संबन्ध में सभी प्रयास अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं जिनको निरन्तर बढ़ाने की आवश्यकता है।

अन्त में ये पंक्तियां इन दोनों के संबंधों के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है-

"मीलों साथ हम आ गये, मीलों हमें चलना बाकी है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)